KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

KHAN SIR

KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

अनु. 5 ,6 ,7 ,8 का प्रयोग अब नहीं किया जाता , इसलिए नागरिकता प्रदान करने और समाप्त करने के लिए संसद ने यह अधिनियम बनाया।

Arti . 5,6,7,8 are no longer used, hence Parliament made this Act to grant and abolish citizenship.

दलाईलामा → तिब्बत - विदेशी
→ सुन्दर पिचाई → भारतवंशी
सोनिया गाँधी → इटली → विदेशी
आलिया भट्ट → भारत → ब्रिटेन

नागरिकता अधिनियम ,1955 (Citizenship Act, 1955)

(A). भारत की नागरिकता प्राप्त करना –Obtaining Indian citizenship -

भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते है। Indian citizenship can be obtained in 5 ways.

अक्षयकुमार → कानाडा
नील मोहन → भारतवंशी

1 . जन्म के आधार पर based on birth – भारत क्षेत्र मे जन्मा हो।

2 . वंश के आधार पर based on lineage/Citizenship by Descent - भारत के बाहर जन्मा।

3 . पंजीकरण के आधार पर based on registration → भारतवंशी

4 . देशीकरण/राष्ट्रिय कारण के आधार पर On the basis of naturalization/national reasons → विदेशी

जैकलिन फर्नांडिस → विदेशी
ऋषि सुनक → भारतवंशी

5 . अर्जन क्षेत्र के आधार पर On the basis of earning area → भारत के कब्जे मे हो।

B . भारत की नागरिकता तीन प्रकार से समाप्त कर सकते है। Indian citizenship can be terminated in three ways.

B . भारत की नागरिकता तीन प्रकार से समाप्त कर सकते है। Indian citizenship can be terminated in three ways.

1. पर्यवसन से from Paryavasan
2. परित्याग से with abandon
3. वंचना के द्वारा by deprivation

अनु० 9

जन्म के आधार पर :- By Birth.

1986

1. 26 जन0 1950 के बाद तथा 1जुलाई 1987 से पहले भारत मे जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, या चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।A person born in India after 26 January 1950 and before 1 July 1987 will be a citizen of India, regardless of the nationality of his parents.

2. 1 जुलाई 1987 के बाद तथा 3 Dec 2004 से पहले भारत मे जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता / पिता मे से कोई एक भारत का नागरिक होगा। A person born in India after 1 July 1987 and before 3 Dec 2004 will be a citizen of India, if one of his/her parents is a citizen of India.

3. 3Dec 2004 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता-पिता मे से कोई एक भारत का नागरिक हो, अप्रवासी भारतीय नही हो।A person born in India after 3Dec 2004 will be a citizen of India, if one of his parents is a citizen of India and not an NRI.

वंश के आधार पर नागरिकता –Citizenship on the basis of descent -

1. 26 जन 1950 के बाद तथा 10 दिस 1992 से पहले भारत क्षेत्र से बहार जन्मा ब्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक है। A person born outside the territory of India after 26 January 1950 and before 10 December 1992 will be a citizen of India if his parents are citizens of India.

2. 10 दिस 1992 के बाद तथा 3 दिस. 2004 से पहले भारत क्षेत्र से बहार जन्मा ब्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता/ पिता में से कोई एक भारत के नागरिक है। After 10 December 1992 and 3 December. A person born outside the territory of India before 2004 will be a citizen of India if either of his parents is a citizen of India.

3 Dec 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता-पिता मे से कोई एक भारत का नागरिक हो, और उसके जन्म का पंजीकरण उस देश में स्थित भारतीय दुतावास मे करवाया गया हो। तथा माता / पिता मे से किसी एक के पास भारत का Passport हो। A person born outside India after 3 December 2004 will be a citizen of India, if one of his parents is a citizen of India, and his birth is registered in the Indian Embassy located in that country. And either of the parents should have an Indian passport.

अमेरिका
⇓
वाशिंगटन
⇓
Reg. → भारतीय दूतावास

(3) पंजिकरण के आधार पर नागरिकता - Citizenship By Registration

1.भारत वंशी व्यक्ति यदि 7 वर्ष तक सामान्य तौर पर भारत में निवास करे तो पंजिकरण के आधार पर भारत का नागरिक होगा। If a person of Indian origin ordinarily resides in India for 7 years, he will be a citizen of India on the basis of registration.

2 भारत वंशी व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक से सम्बंध रखकर 7 वर्ष तक सामान्य तौर पर भारत में निवास करे तो पंजिकरण के आधार पर भारत का नागरिक होगा।If a person of Indian origin ordinarily resides in India for 7 years in relation to an Indian citizen, then he will be a citizen of India on the basis of registration.

3 भारत वंशीयों के नाबालिग सन्तान यदि 1 वर्ष तक भारत मे निवास करे भारत का नागरिक होगा।Minor children of Indian origin will become citizens of India if they reside in India for 1 year.

Note: 1986 के संशोधन से पहले 6 माह तक भारत मे निवास करना होगा ।

देशियकरण के आधार पर नागरिकता- By Naturalization

1. विदेशी मूल का नागरिक यदि 12 वर्ष तक सामान्य तौर पर निवास करे वह भारत का नागरिक होगा . If a citizen of foreign origin has ordinarily resided for 12 years, he will be a citizen of India.
2. ऐसा विदेशी व्यक्ति जिसका 12 वर्ष से भारत से सम्बंध हो, और 7वर्ष के भीतर 4 वर्ष तक भारत मे निवास किया हो वह भारत का नागरिक होगा। A foreign person who has a relationship with India for 12 years and has resided in India for 4 years within 7 years will be a citizen of India.
3. भारत सरकार किसी भी प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्ति को भारत की नागारिकता प्रदान कर सकता है। The Government of India can grant Indian citizenship to any eminent foreign person.

जैसे -दलाईलामा

- 2005 के संशोधन के आधार पर देशियकरण की नागरिकता को आसान कर दिया

अर्जन क्षेत्र के आधार पर : Citizenship by Acquisition land.

अर्जित भुमी पर निवास करने वाला व्याक्ति, भारत का नागरिक होगा।

NRI- (एनआरआई) Non Resident Indian

अनिवासी भारतीय को एनआरआई कहा जाता है। एक भारतीय नागरिक जो एक वित्तीय वर्ष में किसी अन्य देश में काम करने या व्यापार करने में 138 दिन से अधिक समय व्यतीत करता है उसे एनआरआई कहा जाता है।

Non-resident Indians are called NRIs. An Indian citizen who spends more than 138 days in a financial year working or doing business in another country is called an NRI.

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING